

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.



अपील संख्या 52/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/59)

मुरलीसिंह उर्फ मुरलीधर दत्तक पुत्र रामचन्द्र सिंह जाति राजपुरोहित  
निवासी जोरावरपुरा तहसील रतनगढ जिला चूरु।

अपीलान्त

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार राजलदेसर जिला चूरु।  
रेस्पोडेंट

उपस्थित: 1.श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया - अभिभाषक अपीलान्त  
2.श्री मोहम्मद इस्तियाज अली - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 21.02.2023

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ जिला चूरु के निर्णय दिनांक 10.06.2022 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी लाछड़सर ने नायब तहसीलदार राजलदेसर को एक रिपोर्ट पेश की कि ग्राम रोही लाछड़सर के खसरा न. 792 तादादी 28.6188 हैक्टेयर किस्म जमीन बा.च. भूमि मे से 14.1639 हैक्टेयर भूमि पर मुरली सिंह पुत्र रामचन्द्र ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर अपीलान्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। जवाब नोटिस में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं करने पर उप तहसीलदार राजलदेसर ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2021 द्वारा अपीलान्त को उक्त भूमि पर अतिक्रमी धोषित कर बेदखल करने एवं ग्राम लाछड़सर के शरह पड़ता लगान 0.20 रुपये का 50 गुणा 560-00 रुपये दण्ड स्वरूप कायम करने का आदेश दिया। उप तहसीलदार राजलदेसर के निर्णय दिनांक 07.07.2021 के विरुद्ध अपीलान्त ने अति. जिला कलक्टर सुजानगढ में अपील पेश कर आदेश दिनांक 07.07.2021 को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ द्वारा अपने निर्णय

॥  
अति.संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



दिनांक 10.06.2022 द्वारा उप तहसीलदार राजलदेसर का निर्णय दिनांक 07.07.2021 को विधिसम्मत मानते हुए अपील खारिज कर दी। अति. जिला कलक्टर सुजानगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि उक्त भूमि खेत खसरा नं. 792 तादादी 28.6188 हैक्टर में से 7.1199 हैक्टर रोही लाछडसर अपीलान्ट के पूर्वज नानु पुत्र अमरू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व काश्त कर रहे थे, जिस पर वर्तमान में अपीलान्ट काबिज है। जमाबंदी संवत् 2012 से 2015, 2016 से 2019, तथा 2020 से 2023 में अपीलान्ट के पूर्वज का नाम दर्ज है। विवादित आराजी सहदायकी सम्पत्ति नहीं है। सैटलमेन्ट के दौरान जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में उक्त आराजी के इन्द्राजात से अपीलान्ट के पूर्वज का नाम हटाकर मंदिर हनुमान जी का नाम अंकित कर दिया गया। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों का दायित्व था कि वे पूर्व इन्द्राजात की पुरावति करते। रिकार्ड में मूर्ति शब्द कहीं भी उपयोग में नहीं हुआ है एवं माफी को जागीर की श्रेणी में जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अनुलग्न अनुसूची के क्रम संख्या 15 पर माना गया है और इस अधिनियम के अव्यवस्क की भूमि अधिनियम के हित पुर्नग्रहित की जानी थी। इस प्रकार से मंदिर श्री हनुमान जी का भूमि पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। उक्त आराजी के संबध में एक दावा सं. 78/2020 अनुवानी मुरलीधर आदि बनाम मंदिर श्री हनुमान जी आदि धोषणात्मक व रिकार्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र सं. 87/2020 तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट उपखण्ड अधिकारी रतनगढ में विचाराधीन है। जिसमें अपीलान्ट के अधिकार तय होने हैं। उप तहसीलदार को धारा 91 की कार्यवाही निजी खातेदार के विरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। धारा 91 की

॥  
अति.समाप्त कानून  
डीकलेर

कार्यवाही केवल सरकारी भूमि, चारागाह भूमि पर ही की जा सकती है। इस तथ्य पर दोनो अधीनस्थ न्यायालयो ने गौर नही किया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश निरस्त फरमाया जावे।


5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्त द्वारा इस अपील में उठाये गये बिन्दु प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय में उठाये जा चुके है "अपीलान्त ने कथन किया कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कार्यवाही के आदेश जारी करने का अधिकार उप तहसीलदार राजलदेसर को नही है। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073-2076 ग्राम लाछडसर तहसील रतनगढ खसरा नं. 792 रकबा 28.6188 हैक्टर मन्दिर श्री हनुमानजी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। विधि के प्रावधानुसार मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिब है। मंदिर मूर्ति की भूमि के सरक्षण हेतु एवं अतिक्रमण होने पर कार्यवाही करने के संबध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(1) राज-6/ 2007 पार्ट 15 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु सं. 5 व आदेश क्रमांक प. 3(2) राज-6/2007 पार्ट दिनांक 20.08.2020 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध करते है। राजस्व नियमो, राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर के आदेश के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने राजस्व क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार में अधिकृत है।" जिन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ के द्वारा पूर्ण विवेचना

11  
अति.सुभाषीय आ.पु.प.प.  
बीकानेर



के पश्चात निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(ए.एच.मैरी)  
अति.संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर